"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

Amendment - II

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2013—श्रावण 16, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि, पट्टा अनुबंध के प्रावधानों के अध्यधीन तथा अनुमोदित प्लान के अनुसार पट्टान्तरित भूमि के खण्ड पर सम्पूर्ण अधोसंरचना विकास के पूर्ण हो जाने पर एवं अनुमोदित प्लान के अनुसार उस पर कुल आवासीय इकाईयों के 80%

(अस्सी प्रतिशत) निर्माण के पूर्ण हो जाने पर, पट्टेदार लिखित आवेदन द्वारा, 30 वर्ष की अवधि के पट्टे को पूर्ण स्वामित्व हक में परिवर्तित करने के लिए प्राधिकारी को अनुरोध कर सकता है. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर और उसके सत्यापन के पश्चात् प्राधिकारी, निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों पर पट्टे को पूर्ण स्वामित्व हक में परिवर्तन करेगा :—

(एक) पट्टेदार, प्राधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने की तारीख से एक माह के भीतर, प्रचलित दिशानिर्देशित (गाईडलाईन) दर या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विकास प्रीमियम, जो भी अधिक हो, के अनुसार संगणित कुल भूमि के प्रीमियम की 1% (एक प्रतिशत) के बराबर राशि जमा करेगा;

(दो) पट्टेदार, प्राधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने की तारीख से एक माह के भीतर, 11 वर्ष के वार्षिक पट्टा भाटक (वार्षिक लीज रेन्ट) तथा पट्टे के पूर्ण स्वामित्व हक में परिवर्तन हेतु ऐसी सूचना की तारीख तक का पहले से ही जमा की गई वार्षिक पट्टा भाटक (वार्षिक लीज रेन्ट) के अन्तर की बराबर राशि एकमुश्त जमा करेगा; तथा

(तीन) पट्टेदार, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकृत परिवर्तन विलेख, स्वयं के व्यय पर, प्राप्त करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-2/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Raipur, the 7th August 2013

NOTIFICATION

No. F 7-2/2011/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Visesh Kshetra (Achal Sampatti Ka Vyayan) Niyam, 2008, the same have been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After the first proviso to rule 4, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that, subject to the provisions of the lease agreement and on completion of development of complete infrastructure on the demised parcel of land as per approved plan and on completion of construction of 80% (Eighty Percent) of total residential units thereon, as per approved plan, the lessee may request to the Authority, by written application to convert the period of lease of 30 years to free

hold ownership. On receipt of such application and after verification, the Authority shall convert the lease to free hold ownership on following terms and conditions :—

(i) The lessee shall deposit within one month, from the date of intimation from the Authority, an amount equal to 1% (One Percent) of the total land premium calculated as per the prevailing guideline rate or development premium determined by the Authority, whichever is higher;

(ii) The lessee shall deposit within one month, from the date of intimation by the Authority, a lump sum amoun equal to difference of 11 years annual lease rent and the annual lease rent already paid till the date of such intimation for conversion of lease to free hold ownership; and

(iii) The lessee shall get the conversion deed registered under Registration Act, 1908 at his own cost."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.